

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म.प्र.) ::
टेण्डर डाक्यूमेंट

1. जिला न्यायालय भवन परिसर में 1 वर्ष की अवधि हेतु वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण
1.	कार्य का नाम	जिला न्यायालय भवन परिसर में 1 वर्ष की अवधि हेतु वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा
2.	कार्य अवधि	1 वर्ष
3.	अर्नेस्ट/सुरक्षा निधि राशि	जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के नाम से देय रूपए-50,000/-की एफ.डी.आर. ।
4.	निविदा लायसेंस राशि	जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के नाम से देय रूपए-60,000/- का बैंक ड्राफ्ट। उक्त राशि न्यूनतम अनुबंध दर है जिससे उच्चतम अनुबंध दर की निविदाएं विचारणीय होगी।

2. जिला न्यायालय शाजापुर एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर निविदा की प्रति डाउनलोड की जावेगी। निविदाकर्ता द्वारा टेण्डर फार्म राशि रूपए-1,000/- जो कि वापसी योग्य नहीं रहेगी, का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के हक में प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदाकर्ता को नियत प्रारूप पर टेण्डर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर को संबोधित करते हुए सीलबंद लिफाफे दिनांक ~~31.01.2026~~ तक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम तक प्रेषित करेंगे।
4. सीलबंद टेण्डर डाक के माध्यम से नियत समयावधि में टेण्डर बॉक्स में "जिला न्यायालय परिसर शाजापुर में वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु जारी विज्ञप्ति " का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगे। निविदाकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट के अतिरिक्त किसी अन्य बॉक्स में टेण्डर डाले जाने की स्थिति में उसे टेण्डर प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
5. निविदाएं दिनांक ~~02/02/2026~~ को सायं 5:00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष या उनके अधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।
6. निर्धारित समयावधि उपरांत निविदा प्राप्त होने पर उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर (म.प्र.)

07 JAN 2026

:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय भवन परिसर में 1 वर्ष की अवधि हेतु वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा

एनेक्जर-‘ए’

कोटेशन फार्म

1	निविदाकर्ता का नाम	
2	निविदाकर्ता का पता	
3	फर्म की प्रकृति/पार्टी (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)	प्रोप्रायटरशीप/पार्टनरशीप/प्रायवेट लिमिटेड/ पब्लिक
4	प्रोप्रायटर का नाम/ मैनेजिंग पार्टनर/ मैनेजिंग डायरेक्टर	
5	कांटेक्ट डिटेल्	फोन --- मोबाईल --- ई-मेल ---
6	पेन	
7	पंजीयन क्रमांक, यदि कोई हो तो	
8	इएमडी विवरण	1. राशि 2. एफडीआर: 3. जारी करने की दिनांक: 4. जारी करने वाले बैंक का नाम:
9	सुरक्षा निधि विवरण	

10. अनुभव विवरण, (यदि कोई हो तो संलग्न किया जावे)

क्रं.	संस्था/विभाग का नाम जहाँ पर पार्किंग स्टेण्ड संचालित है/था।	अनुबंध की अवधि	उक्त संस्था शासकीय/ स्वशासी/प्रायवेट	कार्य किए जाने का संतुष्टि प्रतिवेदन हो/नही

11. पार्किंग स्टेण्ड हेतु प्रीमियम राशि की दर-

विवरण	दर (रूपए में)
जिला न्यायालय भवन परिसर शाजापुर में पार्किंग स्टेण्ड संचालित किए जाने हेतु प्रस्तावित अनुबंध दर (रूपये 60,000/-न्यूनतम अनुबंध दर है।)	1. अंको में - 2. शब्दों में-

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय भवन परिसर, शाजापुर में वाहन स्टेण्ड संचालन करने हेतु निविदा प्रलेख

जिला न्यायालय भवन परिसर, शाजापुर में एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम **दिनांक- 31.01.2026** निर्धारित की गई है। प्राप्त समस्त निविदायें **दिनांक- 02.02.2026** को खोली जावेगी।

वाहन स्टेण्ड संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

विवरण एवं शर्तें :-

1. वाहन स्टेण्ड हेतु निविदा आवेदन निविदाकर्ता द्वारा विज्ञप्ति की समस्त शर्तों का पालन करते हुए निविदा फार्म **सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से** निविदा तिथि के अंतिम दिन तक आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रेषित करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् रजिस्टर्ड पोस्ट से प्राप्त होने वाले सीलबंद लिफाफों पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. वाहन स्टेण्ड हेतु बतौर सुरक्षा निधि निर्धारित रु. 50,000/- की एफ.डी.आर. प्रधान जिला न्यायाधीश, शाजापुर के नाम से न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि हेतु एफ.डी.आर. आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी। जो निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।
3. वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित वार्षिक अनुबंध की न्यूनतम दर रु. 60,000/- होगी। जिसे निविदाकर्ता द्वारा Bid में अधिकतम वार्षिक अनुबंध दर निविदा में अंकित किया जावेगा उसकी निविदा स्वीकृत की जावेगी।
4. निविदा फार्म के साथ रु. 50,000/- का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में प्रधान जिला न्यायाधीश, शाजापुर के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तों के अनुसार अनुबंध-पत्र (ढेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में **अर्नेस्ट मनी** बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।
5. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा **एक वर्ष के लिये** दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर का निर्णय अंतिम होगा।
6. वाहन स्टेण्ड का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी/गुमास्ता अधिकारी(नगर पालिक परिषद) से नियमानुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
7. निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ढेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
8. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।
9. वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से सायं 06:30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।
10. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का

निर्माण/ संरचना नहीं करेंगे।

11. वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।
12. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ-सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं, विवादों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा। किसी कार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।
13. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे। ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।
14. सायकल/दोपहिया वाहन/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :-

01- सायकल	-	रु. 5/- प्रतिदिन (प्रातः 10:00 से सायं 06:30)
02- दो पहिया वाहन	-	रु. 10/- प्रतिदिन (प्रातः 10:00 से सायं 06:30)
03-चार पहिया वाहन	-	रु. 20/- प्रतिदिन (प्रातः 10:00 से सायं 06:30)
15. वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
16. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
17. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी।
18. वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान-पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा पार्किंग स्टेण्ड संचालन अवधि में धारित किये रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
19. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक अनुबंध राशि के मासिक मान से वर्तमान वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन स्टेण्ड का संचालन करना होगा।
20. निविदा अवधि एक वर्ष की होगी। निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा निविदा की अवधि उसी दर पर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।
21. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किए जाने का अधिकार होगा।
22. वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदा फार्म रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट निविदा के

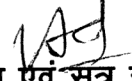
संबंध में प्रस्तुत करना होगा, जो दिनांक-31.01.26 को सायं 5.00 बजे तक पूर्ण रूप से भरकर अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा। प्राप्त सभी नि. विदायें दिनांक-02.02.26 को सायं 5:00 बजे जिला निर्माण समिति के विश्राम कक्ष में निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी और निविदा में बताई गई दरें बोली जाएगी।

23. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तों की पूर्ति करते हुये रुपये 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। साथ ही अनुमति दिए जाने उपरांत 15 दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षा निधि जप्त कर ली जावेगी।
24. सफल निविदाकर्ता को वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित निविदा राशि का भुगतान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के हक में 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करनी हा. 'गी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि मे लाईसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा।
25. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप-ए पर निविदा की दरे उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा।
26. ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरुद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश, शा. जापुर द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधनकारी रहेगा।
27. प्रधान जिला न्यायाधीश, शाजापुर को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टेण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टेण्ड संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें। इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।
28. न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अभिभाषकगण एवं अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारियों एवं विकलांगों को वाहन स्टेण्ड पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगी।
29. कर्मचारीगण उनके वाहन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड में रखेंगे। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित पार्किंग स्थल पर रखेंगे।
30. निर्धारित समयावधि के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
31. निविदाकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा। आमजन को वाहन पार्किंग किए जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान करना होगी जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क एवं वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।
32. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनेल्टी स्वरूप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी।
33. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड में आने व जाने वाले वाहनों का रेकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किए जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

34. नगर पालिका परिषद शाजापुर अथवा अन्य कर जो पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।
35. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत एनेक्सर 'ए' में वांछित दस्तावेज, बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. संलग्न न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

मध्यस्थता :-

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तों अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं, विवादों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर (म.प्र.)

07 JAN 2026